क्रमांक : अपील/2017

प्रस्तुति दिनांक : .12.2017

श्रीमान् न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर बेंच इन्दौर के समक्ष

PBR/निगरानी/बड़वानी/भू.रा./2018/D165

(68)

गजान पिता श्री गुटिया जाति–बारेला
निवासी–निहाली, तहसील–राजपुर
जिला–बड़वानी (म.प्र.) ...अपीलार्थी

विरुद्ध

(1) गुटिया पिता श्री धन्या

(2) जगदीश पिता श्री गुटिया

(3) सुरेश पिता श्री गुटिया
सभी जाति–बारेला
सभी निवासी–निहाली, तहसील–राजपुर
जिला–बड़वानी (म.प्र.) ...रेस्पोडेन्ट्स

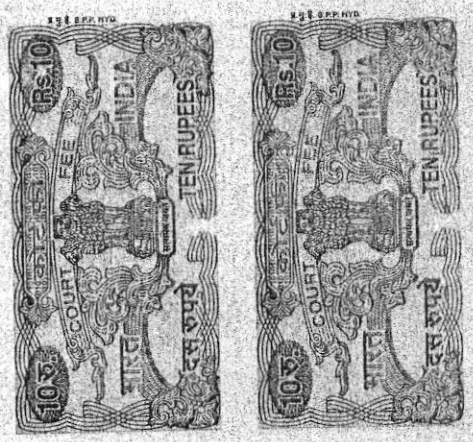

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 44 (2) म.प्र. भू. राजस्व संहिता के तहत्

माननीय तहसीलदार राजपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक–93अ–27/2005–2006 पारित आदेश दिनांक 28.04.2008 का तथा माननीय अपर आयुक्त, इन्दौर का उनके न्यायालय का राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक 199/2010–2011 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2012 का निरस्त करने तथा अनुविभागीय अधिकारी बड़वानी के न्यायालय के राजस्व अपील क्रमांक–16अ–27/2009–2010 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2011 का आदेश स्थिर रखने बाबद् यह द्वितीय अपील ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/बडवानी/भूरा/2018/0165

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–1–2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के आदेश दिनांक 21–12–2012 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 19–12–2017 लगभग साढे चार साल से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा विलम्ब का कारण आवेदक का अनपढ व वृद्ध एवं बीमार होने के कारण अपर आयुक्त के आदेश की जानकारी नहीं होना बताया गया है, आवेदक अधिवक्ता ने धारा 5 के आवेदन में उक्त तर्क के समर्थन में प्रमाण स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है, इसलिये बताया गया विलम्ब का कारण समाधानकारक मान्य नहीं किया जा सकता है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी समय बाह्य प्रस्तुत होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	